

पंजीकृत डाक से, पावती सहित

क्रमांक सं. L00161725/आरटीआई/प्र.अ.09/2017-18

31 अगस्त, 2017

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)  
प्रथम अपील क्र.09/2017-18**

**अपीलार्थी : श्री प्रभु दयाल शर्मा,  
78, डिफेंस कालोनी, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश 243124**

**निर्णय**

**प्रस्तावना :**

श्री प्रभु दयाल शर्मा, अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 09 अगस्त, 2017 के आवेदन द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2015 को जनसूचना अधिकारी कार्यालय, मुद्रा से संबंधित 7 बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करनी चाही थी। उत्तर न मिलने से असंतुष्ट होने की दशा में अपीलार्थी ने दिनांक 09 अगस्त, 2017 की यह अपील प्रस्तुत की है जोकि सिडबी दिनांक 24 अगस्त, 2017 को प्राप्त हुई है।

मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र, मुद्रा से प्राप्त मेल जिसमें उक्त आवेदन की प्राप्ति को नकारा गया है, एवं अपील का भलीभाँति अवलोकन किया है।

**निर्णय :**

अपीलार्थी ने 2015 के आवेदन के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपील 2017 अगस्त में की है जो कालातीत है। मुद्रा द्वारा प्रार्थी के आवेदन की प्राप्ति से इंकार किया गया है। अपीलार्थी मुद्रा से संबंधित जानकारी सूचना का

*रुद्र*

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु एक नया आवेदन मुद्रा संस्था में कर सकते हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है ।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जाए।

शैलेन्द्र महलवार 31/8

[शैलेन्द्र महलवार]

मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी